

संख्या 1393
20-5-10 / I-64330



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 377 / 2010-11

फाइल संख्या I- 64330

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि अखिल भारतीय कायस्थ

महासभा सहाय भवन 12 टरीबा, मेनपुरी।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 5680/1980-81

दिनांक 22.1.1981 को दिनांक 22-1-2010 से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

280/रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 20-5- 2010

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

स्मृति पत्र

- 1- संस्था का नाम :- अखिल भारतीय कायस्थ महा सभा ^{दिल्ली}
2- संस्था का पता :- सहाय सदन 12 दरीवा भैरपुरी, शहर पं० जिला भैरपुरी
यूपी०
3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- समस्त भारत वर्ष
4- संस्था का उद्देश्य :-



- 1- राष्ट्र को शक्ति शाली बनाने हेतु समाज का बौद्धिक स्वम् आवार सम्बन्धी विकास करना ।
- 2- विश्व वन्धुत्व, राष्ट्रीय एकता, तथा राष्ट्रीय विकास हेतु समाज में भावना जागृत करना ।
- 3- समाज में प्रचलित कु प्रथाओं व अनावश्यक वाद को समाप्त करना
- 4- विवादों में फेली हुई लेनदेन व करारदाद व प्रथा को समाप्त करना
- 5- उपजाति विवाहों को प्रोत्साहन देना
- 6- ज्ञान प्रसार, शिक्षा प्रसार, सामाजिक व राष्ट्रीय भावना की जागृति कर राष्ट्र व समाज के उत्थान हेतु आवश्यक रचनात्मक पग उठाना
- 7- समाज में एकता तथा वन्धुत्व की भावना का विकास करना
- 8- सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, आर्थिक अवस्था की समृद्धि हेतु नवीन मार्ग खोजना और उनको कार्यान्वित करना ।
- 9- गरीब छात्रों, असहाय व्यक्तियों, तथा विधवाओं की आर्थिक सहायकता करना ।
- 10- विज्ञान, कला साहित्यिक, प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों को स्थापित कर उनका प्रसार एवं सहायता करना
- 11- धर्मार्थ औषधालय स्वम् विद्यालयों की स्थापना करन उनको चलाना

[Signature]

M. K. Saxena

[Signature]
राष्ट्रिय/सन्तरी

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा

विशाल...

[Signature]

[Signature]

S. P. Ray

[Signature]

[Signature]

सर्व प्रतिनिधि

सं. क्र. १५-६

सर्व विभाग

सर्व कार्य कार्य विभाग

सर्व कार्य विभाग

5- अखिल भारतीय कायस्थ महा सभा की १ प्रबन्ध समिति १ के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय, पद, जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है ।

-X-

क्रम सं० नाम पता पद व्यवसाय

- 1- श्री स्वामी हंसानन्द सरस्वती जेफ वृणेश्वर सहाय = सहाय सदन 12 अय्य = ब्योपार
दरीवा मेनपुरी,
यू०पी०
- 2- श्री एम०पी० श्री वास्तव = भू०पी० मन्त्री मध्य कार्यकारी = ब्योपार
प्रदेश शासन भोपाल अ० य०
- 3- श्री डा० प्रताप नारायण कुलश्रेष्ठ = प्रताप भवन दून्डला उपाध्यक्ष = डाक्टर
आगरा
- 4- श्री आर०एस० श्री वास्तव = 486 महात्मा गांधी महामन्त्री = ब्योपार
भाग इन्दौर म०पी०
- 5- श्री जे०के० कुलश्रेष्ठ = आई०टी०आई० मन्त्रि = नौकरी
सनलाईट कालोनी
महाराणी बाग
दिल्ली
- 6- एम०पी० ठरे = 252 कटरा मेनपुरी कार्यवाहक = नौकरी
यू०पी० मन्त्री
- 7- श्री रवीन्द्र विहारी रायजादा = पहाड़गज दिल्ली कोषाध्यक्ष = अवकाश प्राप्ता
- 8- श्री अशोक कुमार सक्सेना = शान्त सेवा आश्रम उप मन्त्री = नौकरी
बड़ डाकखाने के
पी० फील्ड- इटावा
- 9- डा० योगेन्द्र सिंह = प्रचार्य श्री चित्रगुप्त सदस्य = नौकरी
महाविधालय मेनपुरी
यू०पी०
- 10- श्री एम०जी० श्री वास्तव = प्रोफेसर डी०एस०वी० सदस्य = नौकरी
कालेज, देहरादून
- 11- श्री डी०एस० रामेश्वर = प्रोफेसर डी०एस० सदस्य = नौकरी
सन० कालेज उन्नाव
- 12- श्री मिथिलेश कुमार = 80 डेक्कनपर सदस्य = नौकरी
लखनऊ
- 13- श्री राजेन्द्र कुमार = सरवेयर इन्जीनियर- सदस्य = नौकरी
अर गोवा
- 14- श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना = एडवोकेट पटियाली सदस्य = नौकरी
गेट स्टॉ
- 15- धन श्याम दास = एडवोकेट छिवरामज सदस्य = नौकरी
फर्रुखाबाद
- 16- स्वामी प्रताप सक्सेना = प्रोफेसर वरेली कालेज सदस्य = प्रोफेसर
वरेली
- 17- श्री अशोक कुमार प्रधान = 35 ललितपुर कालोनी सदस्य = नौकरी
लखनऊ
- 18- श्री विमल कान्त प्रधान = दरीवा मेनपुरी सदस्य = ब्योपार
दरीवा मेनपुरी



रजिस्ट्रार

T.K.R.

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

62AA 708753

इस जनरल स्टाम्प पेपर 'अखिल भारतीय कायस्थ महा संघ',
सहाय सदन 12 दुर्गावा मेंनपुरी, शहर पो. जिला मेंनपुरी,
जिला मेंनपुरी फाइल नं. I-64330
स्मृति पत्र के साथ सलग है।



Handwritten signature

उप निष्ठा
चिट कम्प कम्पें तथा सोसाइटी
कायदा क्षेत्र, आगरा

Handwritten signature

नियमावली

- १- संस्था का नाम - आर्य समाज कायस्थ महा समाज ~~दिल्ली~~
- २- संस्था का पता - सहाय भवन १२ दरिया मेंपुरा, पों, गहरा व जिला मेंपुरा १०००
- ३- संस्था का कार्य क्षेत्र - समस्त भारत वर्ष
- ४- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग (आजीवन, विविष्ट, सामान्य, सहायक, संरक्षक, सम्बद्ध समाज सदस्य आदि।

अ- आजीवन सदस्य - समाज का व्यक्ति जो बाल्य में वह आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर ११) शुल्क जमा करे वह महा समाज का आजीवन सदस्य कहलावेगा।

ब- विविष्ट (नियत शक्ति) सदस्य - बाल्य में समाज का व्यक्ति आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर १२) शुल्क जमा करे या कोई भी आजीवन सदस्य १० आजीवन सदस्य बनाकर फार्म व रुपया जमा करे, वह ब्रिज शक्ति सदस्य माना जायगा। सामान्य सहायक सदस्य भी अपने आजीवन सदस्य बनाकर व अन्य १० आजीवन सदस्य बनाकर जमा करे वह भी ब्रिज शक्ति सदस्य माना जायगा।

ई- सामान्य सदस्य - प्रत्येक समाज वन्तु समाज का सामान्य सदस्य होगा।

ई - सहायक सदस्य - जो महा समाज को २) साल केन्द्र देगा वह सहायक सदस्य माना जावेगा।

उ- संरक्षक सदस्य - समाज व्यक्ति जिसका राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति महान सेवाये रही हैं वह संरक्षक सदस्य कहलायगा।

ऊ - सम्बद्ध सदस्य - महा समाज के उद्देश्यों और कार्य कर्मों के अनुसार कार्य करने वाली कोई भी समाज की समाज आवेदन पत्र की स्वाकृति पर और सम्मत शुल्क ११) जमा करने पर सम्बद्ध हो सकेगा। उसको हर वर्ष अपना नवीनीकरण का निम्न प्रकार शुल्क जमा करना होगा।

- (१) सदस्य संख्या २० तक है तो १०)
- (२) सदस्य संख्या २१ से ५० तक है १२)
- (३) सदस्य संख्या ५१ से २०० तक है ३०)
- (४) सदस्य संख्या २०१ से ऊपर है ५०)

द- प्रादेशिक सम्बद्ध समाज :- महा समाज के उद्देश्यों और कार्य कर्मों के अनुसार कार्य करने वाली समाजों जो ३० भारतीय भा. महा समाज से सम्बन्ध है उनही २० प्रतिष्ठित समाजों प्रादेशिक समाज से सम्बन्ध है वह प्रादेशिक समाज अपने आवेदन पत्र के साथ ११) अपने शुल्क जमा करे व हर वर्ष अपना नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सम्बद्ध समाज का

११) जहाँ समाज के विस्तार के लिए जमा करना होगा वह प्रादेशिक समाज महा समाज का सदस्य होगा।

विमल कान्त

(२)

५- सदस्यता का समाप्ति :- मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर, दण्डित हो जाने पर, गुल्फ जमा न करने पर, ऐसे कार्य करता है जो विधान के विरुद्ध व समाज के प्रति अनि कारक है उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी ।

६- संस्था के अंग - दो होंगे ।

क- साधारण सभा (जनरल बोर्ड)

ख - मन्त्रि कारिणी समिति । (वकिंग कमेटी)

७- साधारण सभा - - -

क- गठन - - प्रत्येक आज विन, सदस्य, प्रत्येक विशिष्ट (किया होल) सदस्य सामान्य सदन, सहायक सदस्य, सरदाक सदस्य, सचिव सभाये सदस्य, मा के निम्न सदस्य के समस्त साधारण (महा सभा) के सदस्य होंगे ।

ख - बैठके :- सामान्य, विशेष,

१- सामान्य अधिवेशन - महा सभा का सामान्य बैठक साल में एक बार होंगे ।

२- विशेष - महा सभा का विशेष बैठक जब कार्य कारिणी या अध्यक्ष व मन्त्री चाहें या कार्य कारिणी के ११ सदस्य लिखित रूप से माँग करने पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है ।

स- पुचना अवधि :- सामान्य अधिवेशन को बुलाने के लिये ३ हफ्ते पूर्व पुचना देना आवश्यक होगा ।

द- गण पूर्ति - महा सभा का बैठक की गणपूर्ति के लिये २१ सदस्यों का उपस्थिति आवश्यक है ।

ख- विशेष वार्षिक अधिवेशन :- महा सभा का विशेष अधिवेशन दो साल बाद होगा । इसका तिथि व स्थान कार्य कारिणी निश्चय करेगा ।

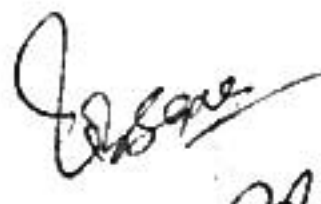
१- विशेष अधिवेशन जहाँ पर होगा वहाँ की सभा एक स्वागत समिति बनायेगा और स्वागत समिति का भारतीय का महा सभा के महा मन्त्री व अध्यक्ष का राय से अधिवेशन की सारी व्यवस्था करेगा ।

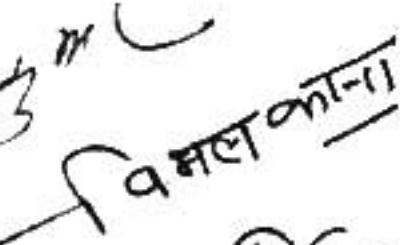
२- आये हुये प्रतिनिधियों से निर्धारित प्रतिनिधि गुल्फ लेगी ।

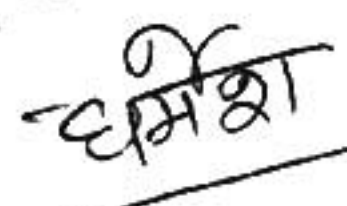
३- स्वागत समिति अधिवेशन समाप्त होने पर सारा आय व्यय लेखा व गेण घन ३ माह के अन्दर महा सभा में जमा कर देगी ।


महेश
अध्यक्ष/सचिव
राज्य भारतीय कार्यस्थ महा सभा


राजेश
सचिव/सचिव
राज्य भारतीय कार्यस्थ महा सभा


अनिल
अध्यक्ष/सचिव
राज्य भारतीय कार्यस्थ महा सभा


विमल
सचिव
राज्य भारतीय कार्यस्थ महा सभा


धर्मिका
अध्यक्ष/सचिव
राज्य भारतीय कार्यस्थ महा सभा

१- साधारण सभा के कर्तव्य :-

- १- कार्यकारिणी से आये हुये प्रस्तावों व सुझावों पर विचार कर निर्णय देना।
- २- कार्यकारिणी से आये हुये विधान में संशोधनों, परिवर्तनों पर अपना निर्णय देना।
- ३- आय व्यय लेखा स्वीकृति करना।
- ४- आगामी अनुमानित आय व्यय लेखा स्वीकृत करना।
- ५- सब कमेटियों का निर्माण करना व भंग करना।
- ६- महा मंत्री व कोषाध्यक्ष व वरिष्ठ प्रेसिडेंट का नियुक्त करना।
- ७- चुनाव आयुक्त (चुनाव अधिकारी) व सहायक चुनाव आयुक्त नियुक्त करना।
- ८- जब सब कमेटी का रिपोर्ट के आधार पर परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा किये गये सम्पन्न, साधु, दान, सहायता के सेवकों के लिये उनके जीवन काल में या मरणोपरान्त निम्नलिखित उपाधि से अलंकृत करना।
 - अ- कायस्थ रत्न आ- कायस्थ कुल दापक
 - ई- कायस्थ कुल उषणा ई- कायस्थ दानवार
 - उ- कायस्थ सरदार ऊ- कायस्थ वार
 - ऐ- कायस्थ विधा उषणा।
- ९- अन्य पदाधिकार। स्वयं कार्यकारिणी के सदस्यों को अध्यक्ष का सम्मति से घोषित करना, अगर उस समय घोषणा सम्भव न हो तो एक माह के अंदर अध्यक्ष घोषित कर देंगे।
- १०- प्रबन्ध कारिणी (कार्यकारिणी) समिति का गठन -

अ - गठन = अध्यक्ष

- २- वरिष्ठ प्रेसिडेंट (कार्यवाहक अध्यक्ष)
- ३- उपाध्यक्ष (प्रत्येक राज्य से अधिक से अधिक तीन होंगे)
- ४- महा मंत्री
- ५- मन्त्री (सचिव)
- ६- अध्यक्ष या व्यावसायिक सचिव
- ७- कोषाध्यक्ष
- ८- संयुक्त मन्त्री (प्रत्येक राज्य से तीन से अधिक नहीं होंगे)
- ९- सदस्य (प्रत्येक राज्य से उसका आवादा के हिसाब से लेकिन किसी राज्य से १५ से अधिक न होंगे)

१०- समिति प्रमुख स्थापति

११- कोई भी कायस्थ सभा जो कम से कम २ संज्ञायें बलात्ता है उस

सभा का अध्यक्ष या उनको मनोनीत व्यक्ति सदस्य होगा।

१२- राष्ट्र व समाज का सेवा करने वाले महाव्यक्तियों में से पांच

व्यक्ति नामांकित होंगे।

विमलका

व्यक्ति

राष्ट्र व समाज का सेवा करने वाले महाव्यक्तियों में से पांच व्यक्ति नामांकित होंगे।

- १३- कम से कम ७ सदस्य व पदाधिकार। महिलाये होंगे।
 १४- कम से कम सदस्य स्वयं पदाधिकार। युवा सदस्यों में से होंगे।
 १५- विशेष अमान्त्रित महान भाव।

नोट ① समिति के सदस्यों को सक्रिय सदस्य होना लक्ष्य होने जाने के १ माह के अन्दर सक्रिय सदस्य बनाना आवश्यक है।
 ② नल्लोन्नत के लिए फल के दिनें जल सस्ते में २ वरुणित की ही रहे। योरेव्य १५२०
 अ- अध्यक्ष का निर्वाचन -

- १- अध्यक्ष के चुनाव के समस्त क्रिया शाल सदस्य व सम्बन्धित प्रांतीय समारो, व संचालित कार्य समारो को अपना मत देने का अधिकार होगा, लेकिन सम्बन्धित कार्य समारो को न्यायिकता होना अनिवार्य होगा।
- २- महा सभा अधिवेशन के लिए सात दिनों के अध्यक्ष का कार्य काल समाप्त हो रहा हो) साठे तान माह पूर्व महा मंत्रा वोटर लिस्ट, क्रिया शाल सदस्य, संचालित समारो, प्रान्तीय समारो को प्रकाशित करेगा और उसका कापी उस दिन चुनाव आयुक्त को दे देगा। निर्धारित रूप देकर कोई भी सदस्य लिस्ट प्राप्त कर सकता है।
- ३- चुनाव आयुक्त वोटर लिस्ट प्राप्त होने पर क्रिया शाल सदस्यों, संचालित समारो व प्रादेशिक समारो से अध्यक्ष पद के लिये नाम मागेगा वह नाम एक माह के अन्दर जाना सम्भव होगा।
- ४- चुनाव आयुक्त आये हुये नामों का १५ दिन के अन्दर उनसे वाक्य प्राप्त करेगा।
- ५- चुनाव आयुक्त क्रिया शाल सदस्यों, संचालित समारो, प्रादेशिक समारो, से अध्यक्ष पद के लिये आये हुये नामों पर मत पत्र भेज कर साथ प्राप्त करेगा। एक माह के अन्दर राय प्राप्त होना आवश्यक होगा और यदि एक ही नाम है तो वह अध्यक्ष का घोषणा कर देगे।
- ६- मत पत्र प्राप्त होने पर उसका गणना कर अध्यक्ष का घोषणा कर देगे और उसका सुचना नव निर्वाचित अध्यक्ष व होने वाले अधिवेशन का स्वागत समिति को उसका सुचना दे देगे।
- ७- होने वाले अधिवेशन का अध्यक्षता नव निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे और उस समय कार्य भार संभालेंगे।
- ८- जिस प्रान्त में अधिवेशन होगा वहां का अध्यक्ष निर्वाचित न होगा।

ब - बैठकें - सामान्य व विशेष

सामान्य - कार्य कारण समिति को बैठक मत्येक दो माह के बाद अन्य अन्य

स्थानों पर होगा। वर्ष में एक बैठक दिना में होना आवश्यक है।

अध्यक्ष
 राष्ट्रीय कार्यसमिति

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

विशेष - कार्य कारिणी समिति का विशेष बैठक जब अध्यक्ष या मंत्री या कार्य कारिणी के कम से कम ७ सदस्यों का लिखित मांग पर बैठक बुलाना आवश्यक होगा।

सूचना अधि - कार्य कारिणी समिति का बैठक का सूचना तान हफ्ते पूर्व निकालना आवश्यक होगा। लेकिन आवश्यक बैठक बुलाने के लिये एक हफ्ते का नोटिस ही काफी होगा।

गण प्रति - कार्य कारिणी समिति का बैठक के लिये ७ व्यक्तियों का उपस्थिति का कोरम होना जरूरी होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि - कार्य कारिणी समिति के कार्य पाल के बीच कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो प्रबन्ध समिति शीघ्र समय के लिये किसी सदस्य का मनवाजन कर उसके प्रति कर लागायेगा।

र- कार्य कारिणी समिति (प्रबन्ध समिति) के कर्तव्य व अधिकार

१- समा के समस्त कार्यों पर नियंत्रण रखना।

२- आज्ञा पत्र सदस्य, किया राज सदस्य, सम्बद्ध समाजों के जवाबदेन पत्रों को स्वीकृत या निरस्त करना।

३- आय व्यय लेखा स्वीकृत करना व बॉडर (लेखा परीक्षक) का रिपोर्ट पर विचार कर उसे कार्य रूप में परिणित करना।

४- आगामी अनुमानित बजट स्वीकृत कर महा समा को भेजना।

५- आय व्यय प्रस्तावों पर स्वीकृत प्रदान करना।

६- आवश्यक सब कमेटीयों का निर्माण करना।

७- महा समा का वार्षिक व्यवस्था सुधारने के लिये नवान योजना स्वयं धन एकत्रित करना।

८- वार्षिक अधिवेशन के लिये स्थान व तिथि स्वीकृत करना।

९- महा समा का कोई पदाधिकारी या सदस्य ऐसे कार्य करता है जो महा समा के विधान के विरुद्ध व समाज की हानि पहुंचाने वाले है उस व्यक्ति को सदस्यता समाप्त करना व बहाल करने का अधिकार होगा।

१०- अधिवेशन को आगमन करने का अधिकार होगा।

११- बैंक में खाता खोलना।

७- कार्य काल - प्रबन्ध कारिणी समिति (वरिष्ठ मेटा) का कार्य काल २ वर्ष का या उसके ऊपर बुनाव का अवधि तक का होगा।

८- प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष संस्था के प्रधान होंगे वे समा का बैठकों का समापन करेंगे। समा का सम्पत्ति एवं प्रभारों का निर्वहण करेंगे, महा समा तथा समाज के कार्यकारिणी

(६)

के उद्देश्यों व नियमों को कर्तव्यमूलक करने हेतु आदेश व निर्देश देने और उनमें स्थिति को रक्षा करेंगे।

ग- महा सभा को तब और वक्त सम्पन्न करने के लिए बैठक में रखना।

घ- बैठक बुलाने व स्थगित करने का अधिकार होगा स्वयं विशेष मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा।

ङ- विशेष कार्य के लिये सब कमेटीयों का कार्य निर्माण करना।

च- विश्व सम्बन्ध कारिणी समिति को नियुक्त करना और समाज के विशेष व्यक्तियों को विशेष अतिथि के रूप में सम्बन्ध कारिणी समिति में नियुक्त करना।

छ- आये हुए प्रस्तावों को माटिंग में रखने के लिये स्वाकृत व अस्वाकार करना।

ज- एक समय में २०० तक प्रश्न करने का अधिकार होगा।

का- वाहक अध्यक्ष (विश्व सम्बन्ध कारिणी)

अध्यक्ष का अनुपस्थित में सम्पन्न के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे व अध्यक्ष व कार्यवाहक अध्यक्ष का अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

महा मंत्रियों के अधिकार व कर्तव्य

अ- सभा की समस्त कार्यवाहियों को ज्ञात रखना।

आ- सभा की वक्त अवकाश सम्पन्न करने के लिए बैठक में रखना।

ई- आय व्यवस्था ज्ञात व निर्माण अनुमानित वक्त सार करना।

इ- माटिंग बुलाने का अधिकार होगा।

उ- आये हुए प्रस्तावों को अध्यक्ष का राय से माटिंग में रखना।

ऊ- बैठक सभा निर्धारण को अध्यक्ष का राय से नियुक्त करना।

ए- महा सभा को आर्थिक व्यय बुलाने का करण करना।

ऐ- एक समय में २०० तक प्रश्न करने का अधिकार होगा।

ऑ- आय व्यवस्था कार्य कारिणी के समस्त कार्य निमित्त करने के बाद माटिंग में स्वाकृत हेतु प्रस्तुत करना।

ओ- सब कमेटीयों को कार्य हेतु रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करना।

व- न्यायालय में जाने वाले समस्त कार्य को देख रोक करना।

आ- अध्यक्ष का राय से आगामी अखिबत के लिये कार्य क्रम बनाना।

मंत्रियों के अधिकार

महा मंत्रियों का अनुपस्थिति में महा मंत्रियों के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य

कोषाध्यक्ष महा सभा का वित्तियाना को संभाल होगा और महा सभा

11/1/2020
अध्यक्ष/मन्त्री

विश्व सम्बन्ध कारिणी महा सभा

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

अध्यक्ष

(७)

की समस्त निधियों के साथ अन्य का स्था के प्रति उत्तरदायी होगा और समस्त निधाय अन्य स्था को स्था बढ़ करेगा ।

२- महा मंत्री का साथ में आगामी बजट तैयार करेगा ।

३- महा मंत्री या अध्यक्ष का स्वागत विज्ञो का भुगतान करेगा ।

प्रान्तीय सचिव समा के अधिकार

१- सचिव समिति (कार्य कारिणी समिति) के उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव व अन्य इस प्राप्ति के कार्य कारिणी के सदस्य व विशेष इस प्राप्ति के सामन्तित व्यक्ति इस प्रेरित का प्राप्तिय समा कृतज्ञगी । वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस प्राप्तिय समा का अध्यक्ष व वरिष्ठ संयुक्त सचिव इस प्राप्ति का महा मंत्री होगा । यात की अध्यक्ष अन्य ~~इस प्राप्ति का कट कर सकते हैं तभी अन्य पदाधिकारी~~ या निधुन कर सकते हैं ।

२- महा समा सचिव समिति व उनके पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार प्राप्तिय समा को अपने क्षेत्र में प्राप्त करेंगे ।

३०- संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

अखिल भारतीय सचिव महा समा का नियमावली में जिस भाग समय कार्य - कारिणी का स्वागत के साथ महा समा का पुंठक में संशोधन, परिवर्तन जिन जो करेंगे ।

३१- संस्था का कोष (स्था व्यवस्था)

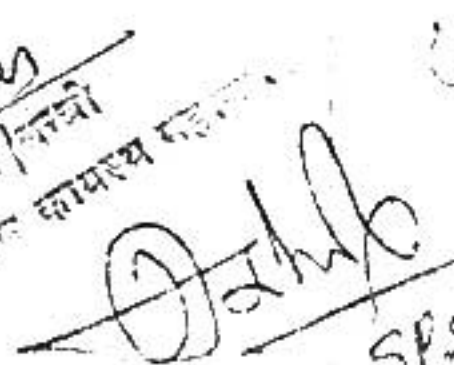
महा समा का साथ अन्य स्था कोषाध्यक्ष महा मंत्री का साथ में तैयार किया जायगा । महा समा का इन कोषाध्यक्ष के महा समा के नाम से जमा रहेगा । जिसे निम्नलिखित अधिकार कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ, अध्यक्ष कार्य वापक अध्यक्ष, महा मंत्री में से कोई एक पदाधिकारी के - सामुहिक हस्ताक्षरों से ही निष्ठा जा सकेगा । कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक हैं ।

३२- संस्था के साथ अन्य स्था पराधिकार (ऑडिट)

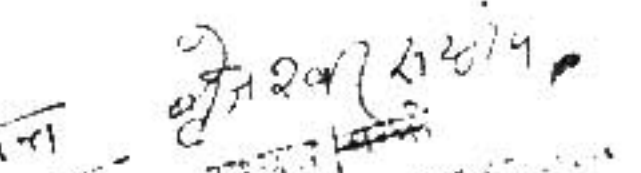
अ- सचिव समिति (कार्य कारिणी) समा के प्रमुख व मुख्य किन्हीं को - व्यक्तियों को स्था पराधिकार (ऑडिट) नियुक्त करेगा ।

आ- महा समा का साथ अन्य स्था, स्था पराधिकार के माह के बाद पराधिकार (ऑडिट) कार्य अपना रिपोर्ट सचिव समिति को देगे और सचिव समिति उस पर पूर्ण रूपेण विचार कर उसका पालन करेगा ।


महेश महेश्वरी
अखिल भारतीय कावस्थ महा समा


SPS


विमल काला


महेश महेश्वरी
अखिल भारतीय कावस्थ महा समा

(८)

१३- संस्था द्वारा, अथवा उसके विरुद्ध अदाउत में कार्यवाही के सेवान्त का उत्तरदायित्व ।

अध्यक्ष या मन्त्रि समिति का आदेश से समिति का और से न्यायालय में कैसे दायर करने, उसके प्रवर्तन करने का अधिकार महा मन्त्री व मन्त्रों को होगा ।

१४- संस्था के अभिलेख

महा मन्त्री महा सभा के अभिलेख (वियाजाल सदस्यता रजिस्टर, सम्बन्धित सभाओं का रजिस्टर, मातृसभाओं का रजिस्टर, वाजिवन सदस्यों का रजिस्टर, सहायक सदस्यों का रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, नोटिस रजिस्टर केश पुके, डिस्पेंच रजिस्टर, वाउचर फायल, रसीद वर्रियां आदि सुरक्षित रखे जावेगें - मन्त्रि समिति का आदेश से भी अभिलेख १५ वर्षों के बाद भी नष्ट किये जा सकेंगे ।

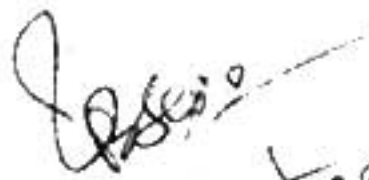
१५- संस्था के विपटन और विवटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रजिस्ट्रेशन का धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जावेगी ।

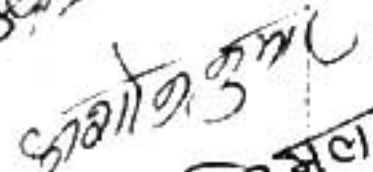
दिनांक - 20-1-81

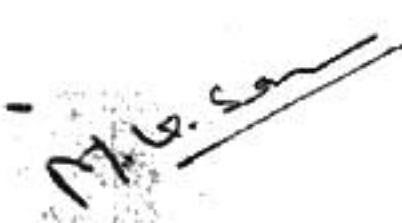
सत्य मन्त्रिप

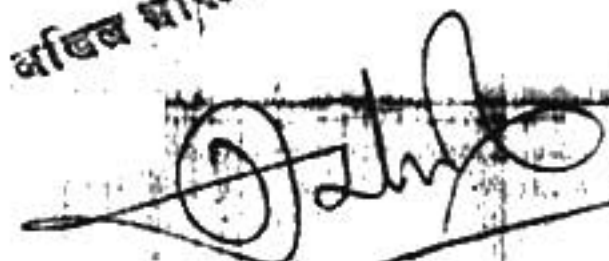
मन्त्रि समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर -

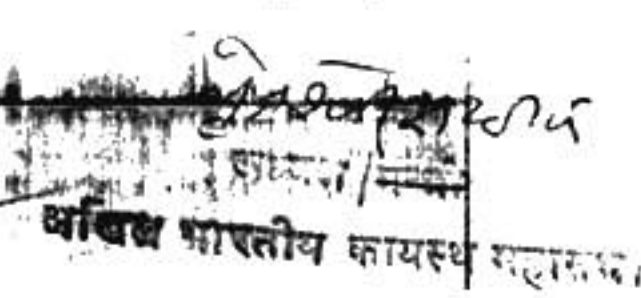

अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ




विमल कामा






अखिल भारतीय कायस्थ महासंघ

